

जन-सुनवाई कार्यवृत्त

भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स विमलेश राठौड, रेफरेन्स नम्बर 20201000015939, क्षेत्रफल 3.9882 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,41,960 टी.पी.ए. (रोम), खसरा नम्बर 33, निकट ग्राम-चक नम्बर 6, खारी चारनान, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर {कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 7.9783 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-7,20,784 टी.पी.ए. (रोम)} में स्थित है में बॉल क्ले, सिलिका सेंड, बजरी, ग्रेवल, कंकर एवं मुर्रम के खनन की पर्यावरण स्वीकृति हेतु जनसुनवाई जिला कलक्टर बीकानेर के प्रतिनिधि श्री राजेश कुमार नायक, उपखण्ड अधिकारी, कोलायत, बीकानेर की अध्यक्षता में एवं क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर के प्रतिनिधि श्री गिरीश व्यास, सहायक पर्यावरण अभियन्ता की उपस्थिति में ग्राम पंचायत भवन खारी चारनान, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर में दिनांक 20.11.2024 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गई। उक्त क्लस्टर क्षेत्र में आने वाली खनन इकाइयों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	खनन इकाई का नाम	रेफरेन्स नम्बर	खनन इकाई का क्षेत्रफल	खनन इकाई की उत्पादन क्षमता
1	मैसर्स विमलेश राठौड,	20201000015939	3.9882 हैक्टेयर	4,41,960 टी.पी.ए. (रोम)
2	मैसर्स श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई,	2019100004991	3.9901 हैक्टेयर	2,78,824 टी.पी.ए. (रोम)

जनसुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का विवरण मय हस्ताक्षर परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। जनसुनवाई बाबत विज्ञप्ति दिनांक 11.10.2024 को समाचार पत्र 'द इण्डियन एक्सप्रेस' एवं 'दैनिक युगपक्ष' में प्रकाशित करवाई गई थी जिसकी प्रतियाँ परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। श्री गिरीश व्यास, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर का क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित होने हेतु स्वीकृति पत्र परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, बीकानेर के प्रतिनिधि श्री गिरीश व्यास, सहायक पर्यावरण अभियन्ता ने सभी आगुन्तको का स्वागत करते हुए अवगत करवाया कि उक्त जनसुनवाई वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 एवं संशोधित अधिसूचनाओं में दिये गये प्रावधानों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर द्वारा आयोजित की जा रही है जिसमें जिला कलक्टर महोदय की तरफ से उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। उक्त जन सुनवाई की सूचना दो समाचार पत्रों में 30 दिवस पूर्व दी जा चुकी है। क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को बताया गया कि उक्त खनन परियोजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी खनन परियोजना के पर्यावरणीय

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

तकनीकी सलाहकार द्वारा दी जायेगी। सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात उपस्थित आमजन खनन परियोजना के सम्बन्ध में आपत्ति या सुझाव दर्ज करवा सकते हैं। उक्त जनसुनवाई की विडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। जनसुनवाई की विडियोग्राफी एवं दिये गये आक्षेप/सुझाव क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्राधिकरण (SEIAA) को प्रेषित कर दिये जायेंगे। इसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी, कोलायत, बीकानेर की अनुमति से प्रस्तावित परियोजना के सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुतिकरण हेतु **मैसर्स विमलेश राठौड** के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **“मैसर्स मंत्राज ग्रीन रिसोर्सेज लिमिटेड”** को आमंत्रित किया गया।


परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार **“मैसर्स मंत्राज ग्रीन रिसोर्सेज लिमिटेड”** के प्रतिनिधि द्वारा खनन परियोजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत बताया गया कि उक्त खनन परियोजना खसरा नम्बर 33, निकट ग्राम-चक नम्बर 6, खारी चारनान, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर में खनिज- बॉल क्ले, सिलिका सेंड, बजरी, ग्रेवल, कंकर एवं मुर्ररम के खनन हेतु प्रस्तावित है जिसका **रेफरेन्स नम्बर 20201000015939**, कुल खनन क्षेत्रफल **3.9882** हेक्टेयर तथा उत्पादन क्षमता **4,41,960** टी.पी.ए. (रोम) होगी। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, क्लस्टर परियोजना का विवरण मय नक्शा, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण/रोकथाम के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के बारे में बताया।

खनन इकाई के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा खनन परियोजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाने के पश्चात क्षेत्रीय अधिकारी महोदय के प्रतिनिधि द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमूह को इस खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।


सर्वप्रथम उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा आमजन को सम्बोधित करते हुए कहा गया कि पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने से पूर्व पर्यावरण प्रभाव आंकलन हेतु बनने वाली रिपोर्ट पर आपका पक्ष जानने, आपके विचार, सुझाव एवं आपत्तियों को जानने के लिये जनसुनवाई का आयोजन किया जाता है। खनन पट्टा धारक द्वारा खनन कार्य करने के दौरान जिन मापदण्डों का ध्यान रखा जायेगा उसकी विस्तृत जानकारी जनसुनवाई के दौरान रखी जाती है। उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खनन इकाईयों को स्वीकृति प्रदान की जाती है साथ ही खनन इकाईयों को पर्यावरण संरक्षण करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश भी जारी किये जाते हैं। खनन पट्टा धारकों द्वारा नियमों की पालना नहीं करने से सम्बन्धित शिकायतें कार्यालय को अनेक बार प्राप्त हुई हैं। इस सम्बन्ध में खनन पट्टा धारकों के साथ एक बैठक का शीघ्र ही आयोजन किया जायेगा जिसमें प्रदूषण नियंत्रण मण्डल एवं खान विभाग के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जायेगा एवं क्षेत्र में स्थित समस्त खनन इकाईयों से राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कानूनी प्रावधानों की पालना करवाना

उपखण्ड अधिकारी
जिला-बीकानेर

क्षेत्रीय अधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित जन-मानस से प्रस्तावित खनन परियोजना के सम्बन्ध में अपने आक्षेप/सुझाव/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु पुनः निवेदन किया गया परन्तु ग्रामवासियों द्वारा अन्य कोई आपत्ति/आक्षेप प्रस्तुत नहीं किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी महोदय की अनुमति से क्षेत्रीय अधिकारी के प्रतिनिधि ने जनसुनवाई के समापन की घोषणा की एवं उपखण्ड अधिकारी महोदय तथा उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई के दौरान एवं जनसुनवाई के पश्चात ग्राम पंचायत ग्रामवासियों के माध्यम से लिखित में कोई भी आक्षेप इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है।


(गिरीश व्यास)










सहायक पर्यावरण अभियन्ता,
रा.रा.प्र.नि.म., बीकानेर


उपखण्ड अधिकारी
(सि.जि.श. कुंभार नायक) बीकानेर
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत
बीकानेर

जन सुनवाई हेतु नामित पदाधिकारियों एवं नागरिकों का उपस्थिति पत्र

प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स विमलेश राठौड, रेफरेन्स नम्बर 20201000015939, क्षेत्रफल 3.9882 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,41,960 टी.पी.ए. (रोम), खसरा नम्बर 33, निकट ग्राम-चक नम्बर 6, खारी चारनान, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर जो कि क्लस्टर परियोजना (मैसर्स विमलेश राठौड, रेफरेन्स नम्बर 20201000015939, क्षेत्रफल 3.9882 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,41,960 टी.पी.ए. (रोम); मैसर्स श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, रेफरेन्स नम्बर 2019100004991, क्षेत्रफल 3.9901 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,78,824 टी.पी.ए. (रोम)) कुल क्लस्टर क्षेत्रफल 7.9773 हैक्टेयर, कुल क्लस्टर उत्पादन क्षमता-7,20,784 टी.पी.ए.(रोम) में स्थित है, में बॉल क्ले, सिलिका सैंड, बजरी, ग्रेवल, कंकर एवं मुर्रम की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 20.11.2024 को आयोजित जन सुनवाई की बैठक ।

स्थान:- ग्राम पंचायत भवन खारी चारनान तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर
दिनांक:-20.11.2024 समय प्रातः 11.00 बजे।

क्र.स.	नाम	पद एवं विभाग/कार्यालय/निवासी	हस्ताक्षर
1.	Rajesh Kumar	SBO, Kolayat	
2.	Girish Yadav	A·EN, RSPCB, Bikaner	 20.11.24.
3.	राधेश्याम शर्मा	JEC, RSPCB, Bikaner	
4.	साहेबराज	खारी चारनान	साहेबराज
5.	प्रेमचंद शर्मा	बिकानेर	
6.	सुरेंद्र चौधरी	खादी-नारान	
7.	जुगलकिशोर	खारी	जुगलकिशोर
8.	शिवलोक कुमार	चक नं-6	
9.	Pooja Lat	JAIPUR	
10.	Manish	Jaipur	
11.	Mahender pal	ADO P.S.KO	
12.	रामेश्वर	खारी	रामेश्वर
13.	हेमन्त शर्मा	Mines Pratimidhi	हेमन्त

14.	मधाराम कुमावत	खारी चारनाण	
15.	अजय कंगार	कोल्हापूर	
16.	Mohammed Cal.	Rihan' Charan.	mehar
17.	मनोज	खारी चारनाण	मनोज
18.	गणपत गेधर	खारी चारनाण	9982369541
19.	इश्वरदास बोड	खारी चारनाण	
20.	शिवसिंह गावे	पखी खारी चारनाण	sh
21.	शिवसिंह	ILR खारी चारनाण	ILR
22.	मी-रमण ल	खारी चारनाण	
23.	ककरदीन	खारी चारनाण	ककरदीन
24.	अजय सिंह	खारी चारनाण	अजय
25.	गणेशाराम शर्मा	खारी चारनाण	गणेशाराम
26.	Arvind Kulkarni	member gajpur	Ar
27.	VIVEK Tyagi	Environment Consultant Nautyach Conzen Resourc	Vivek Tyagi
28.	Mamish	Bikannu	
29.	दिनेश चारनाण	दिनेश - (खारी चारनाण)	दिनेश
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			



0151-2250006

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Plot No SPL-33, Phase-2nd, Bhichhwal Industrial Area,
Bikaner - 334001

Email:-ro.bikaner@gmail.com

environment.rajasthan.gov.in

राप्रनिम / क्षे.का. / बीका / बीएम-754 / 3344-45

दिनांक 19/11/2024

उपखण्ड अधिकारी
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी,
कोलायत, जिला-बीकानेर

विषय:- खनन परियोजना मैसर्स विमलेश राठौड, रेफरेन्स नम्बर 20201000015939, खसरा नम्बर 33, निकट ग्राम-चक नम्बर 6, खारी चारनान, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित जन सुनवाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रस्तावित खनन परियोजना मैसर्स विमलेश राठौड, रेफरेन्स नम्बर 20201000015939, क्षेत्रफल 3.9882 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 4,41,960 टी.पी.ए. (रोम), खसरा नम्बर 33, निकट ग्राम-चक नम्बर 6, खारी चारनान, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई दिनांक 20.11.2024 को प्रातः 11.00 बजे ग्राम पंचायत भवन खारी चारनानच, तहसील-कोलायत, जिला-बीकानेर में आयोजित की जानी है।

इसी क्रम में लेख है मण्डल मुख्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर द्वारा गठित दल के साथ निरीक्षण होने के कारण अधोहस्ताक्षरकर्ता उक्त जनसुनवाई में उपस्थित होने में असमर्थ है। अतः अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा श्री गिरीश व्यास, सहायक पर्यावरण अभियन्ता को जनसुनवाई में उपस्थित होने बाबत मनोनीत किया जाता है।

सूचनार्थ सादर प्रेषित।

भवदीय,


(राजकुमार मीणा)
क्षेत्रीय अधिकारी
OK

प्रतिलिपि:- श्री गिरीश व्यास, सहायक पर्यावरण अभियन्ता को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


क्षेत्रीय अधिकारी
OK